(1) R.M.M. Law College

5219159

Amrendra Kumar Trivedi
Part Time Law Teacher
Sub: Evidence

न्यायालय द्वारा न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है।

न्यायालय के समक्ष जितने भी सुसंगत विवाद्यक तथ्य होते हैं वे मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किये जाते हैं। इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद हैं जिन तथ्यों के विषय में पक्षकारों की जिन तथ्यों की स्वीकृति हो जाती है और जिन तथ्यों की न्यायिक अवेक्षा (Judicial Notice) कर सकता है और जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

यह धारा केवल उल्लेख करती है कि किसी ऐसे तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती जिसकी न्यायालय न्यायिक अवेक्षा कर सकता है। अधिनियम न्यायिक अवेक्षा उन तथ्यों का वर्णन नहीं करती बल्कि उन तथ्यों का है जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय अवश्य करती है।

न्यायिक अवेक्षा - कुछ तथ्य ऐसे प्रसिद्ध या सुस्थापित (Well-established) होते हैं उनके अस्तित्व को साबित करने की जरूरत नहीं रह जाता। न्यायालय उनके अस्तित्व का स्वयं ही संज्ञान (Congnizance) ले लेता है।

Scanned with CamScanner

धारा 57 के अधीन किसी तथ्य का अस्तित्व प्रश्नगत हो जाता है तो पक्षकार उसके अस्तित्व या अनस्तित्व को प्रमाणित करता है उसको उस विषय में साक्ष्य देना आवश्यक नहीं है।

न्यायालय स्वयं प्रकाशित सामग्री का सहारा लेता तथा यदि उसका निजि ज्ञान उसका सहायक नहीं हो पाता, उक्त प्रश्न पर निर्णय लेना और यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह पक्षकारों से सहायता करने को कहेगा। किन्तु इस प्रकार की गयी कोई सहायता निष्कर्ष का आवश्यक नहीं कि वह साक्ष्य होगा। न्यायालय किसी भी ग्रन्थ का अवलोकन कर सकता है उसे न्यायिक ध्यान के लिए पुस्तक प्राप्त कर सकता है।

न्यायालय के न्यायाधीश और अधिकारियों की तथा उनके उपबन्धों और अधिनियम के अधीन और स्वामी के अधीन अधिकारों के प्रशासन से सम्बन्ध रखने वाले सब आवश्यकताओं पदों और उनके निकट उपसम्बन्धित होने वाले के लिये किसी विधि द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्तियों के नाम लोक अधिकारी सार्वजनिक विभाग का इन सभी विषयों में न्यायालय न्यायिक निर्देश प्राप्त की या इसलिए की सहायता लेना सकता है।

से साबित किया जा सकता है। यह पता उक्त तथ्य को साबित करने का एक और उपाय अपनाया जाता है। जब न्यायालय को इस विषय में सन्देह हो कि कोई हस्ताक्षर या मुद्रा उस व्यक्ति का है या नहीं जिसका उसको कहा गया है तो साक्ष्य समाधानप्रद नहीं होना न्यायालय इस बात पर समाधान कर सकता इसके तीसरे व्यक्ति से कह सकता है। स्वीकृति से साबित किये गये हस्ताक्षर अन्य प्रयोजन के लिये पेश या साबित किया गया हो।

न्यायालय स्वयं अपने द्वारा की गई तुलना को अपने निष्कर्ष का आधार बना सकता है। बिना किसी विशेषज्ञ की सहायता लिये सतर्कता और सावधानी का प्रयोग कर सकता है। दस्तावेज के हस्ताक्षर लेकर विशेषज्ञ कौन निश्चायक ही हो सकता है। तार्किक या संभावना इन सबों पर न्यायालय अपनी सोच बना सकता है।

Scanned with CamScanner